प्रेस नोट 27/04/2024

दो शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 18 पैकेट सिगरेट 03 पैकेट तम्बाकू बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 27.04.2024 को बेलाल मस्जिद रेलवे लाइन के पास से अभियुक्तगण अमन गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी डोमनपुरा तेलियाना मिर्जाहादीपुरा, सरफराज पुत्र अजीजुलहसन निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे से 18 पैकेट सिगरेट(कैप्टन, बड़ी गोल्ड फ्लैग, छोटी गोल्ड फ्लैग, क्लासिक), 02 पैकेट रजनीगंधा, 01 पैकेट तुलसी बरामद किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 126/24 धारा 457,380 भादवि0 से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. अमन गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी डोमनपुरा तेलियाना मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
2. सरफराज पुत्र अजीजुलहसन निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. 18 पैकेट सिगरेट(कैप्टन, बड़ी गोल्ड फ्लैग, छोटी गोल्ड फ्लैग, क्लासिक), 02 पैकेट रजनीगंधा, 01 पैकेट तुलसी।

नकली कटिंग ब्लेड के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना कोतवाली में आज दिनांक 27.04.2024 को वादी सुनील कुमार पता–लांसर्स नेटवर्क लिमटेड 630 कोहिनूर एनक्लेव वेस्ट एण्ड मार्ग सैदुल्लाह हजाब थाना महरौली जिला नई दिल्ली पद मैनेजर अधिकृत कारगो रैंडम यूनिवर्सल लिमटेड द्वारा मऊ नगर क्षेत्र सदर चौक में दुकानों पर नकली कटिंग ब्लेड बेचे जाने की सूचना दी गई जिस पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर मदीना मशीनरी दुकान से 202 नकली ब्लेड बरामद कर अशद रसीद पुत्र रशीद अहमद निवासी छितनपुरा थाना कोतवाली मऊ व के0जी0एन0 मशीनरी से 36 नकली कटिंग ब्लेड बरामद कर सिराज अहमद पुत्र महमूद खान निवासी छितनपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 133/24 धारा 63 कापी राइट अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तारदृ

आज दिनांक 27.04.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कटिहारी बडराव रोड मन्दिर के पास से अभियुक्त कुलदीप राय पुत्र अरधेन्दु राय निवासी पाराडी थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

एक वांछित तथा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 27.04.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर खुरहट बाजार महासों मोड़ के पास से मु0अ0सं0 43/24 धारा 366,376डी भादवि में वांछित अभियुक्त इबरान पुत्र मुस्तफा निवासी रानीपुर, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारण्टी साहिल पुत्र रामा निवासी ताजपुर तथा सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारण्टी रवि सिंह पुत्र धीरज सिंह निवासी रकौली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।